

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली

- नोटिस -

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में इस न्यायालय में लम्बित सभी फौजदारी व दीवानी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी-

<u>नियत तिथि</u>	<u>आगामी तिथि</u>
22.04.21	04.05.21
23.04.21	05.05.21
24.04.21	06.05.21
26.04.21	07.05.21
28.04.21	10.05.21
29.04.21	11.05.21
30.04.21	12.05.21
01.05.21	13.05.21
03.05.21	15.05.21 (15-5-21)

सभी पक्षकारान एवं अधिवक्तागण सूचित रहे ।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली